आयंदा [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

दिनांक 20/4/2016

पक्षकारान/वकील उपस्थित ।

राज्य सरकार एवं श्रीमान जिला कलेक्टर, पाली के निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय के अटल सेवा केन्द्र पर राजस्व लोक अदालत शिविर का आयोजन रखा गया है, जिसमें राजस्व न्यायालय के समस्त विचाराधीन व नवीन राजस्व प्रकरणों का लोक अदालत की भावना के तहत पक्षकारों के मध्य राजीनामा/समझौता अथवा मेरिट के आधार पर विधिसम्मत निस्तारण किया जायेगा ।

अतः इस पत्रावली से संबंधित दोनों पक्षों को नोटिस द्वारा सूचित किया जाकर यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय अटल सेवा केन्द्र बांकली पर आयंदा दिनांक 27/6/2016 को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

27/6/16 पक्षकारान उपस्थित ।
यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट-अटल सेवा केन्द्र बांकली में बरोज आज पेश हुई ।
लगातार---

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016	हुक्म तामील नंबर व तारीख
	हमने उभय पक्षीय पक्षकारान की दलील एवं बहस को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत् वाद विषयक स्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं लोक अदालत की भावना के अनुरूप सरहद मौजा बांकली तहसील-सुमेरपुर में स्थित वाद ग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर (वर्तमान) 1264 रकबा 1.38 हैक्टर किस्म-चाही दोयम व आव दोयम, वार्षिक लगान रुपये 32.61 एवं खसरा नम्बर 1261 रकबा 0.34 हैक्टर किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर 1263 रकबा 1.15 हैक्टर किस्म -चाही दोयम व आव दोयम कुल रकबा 1.49 हैक्टर वार्षिक लगान रुपये 28.50 के बारे में वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथा स्थिति को मूलवाद संख्या 108/2015 के निर्णय तक यथावत बनाए रखने का आदेश पारित किया जाता है इस आदेश से दोनों पक्षकार पाबंद रहेंगे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार व नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर, जिला-पाली	

Scanned by CamScanner